

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/मार्च/ 689

दिनांक 29/03/2026

समस्त
विभागाध्यक्ष SNA SPARSH

विषय- SNA SPARSH पर CSS योजनाओं के बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषण
संबंधी दिशा निर्देश।

महोदय,

वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति के मध्यनजर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1468-1688 दिनांक 25.03.2026 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार PFMS Portal द्वारा साइबर ट्रेजरी द्वारा अग्रेषित DBT एवं Non DBT Payment File 31.03.2026 को क्रमशः दोपहर 3:00 एवं 4:00 बजे तक ही स्वीकार की जानी है।

इस संबंध में SNA SPARSH Portal पर SNA SPARSH विभागों द्वारा अग्रेषित किए जाने वाले बिल दिनांक 30.03.2026 को सांय 4:00 बजे बाद साइबर ट्रेजरी पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अतः बिल प्रेषण के संबंध में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय
(राजेश विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/मार्च/ 689

दिनांक 29/03/2026

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
4. कोषाधिकारी साइबर कोषालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव